न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
अन्तिम आख्या संख्या–106 / 2022
CNR No-UKCL020004282022
उत्तराखण्ड राज्य जरिये सुरेन्द्र सिंह बनाम अज्ञात।

दिनांकः 02.09.2022

वाद पुकारा गया, अन्तिम आख्या पत्रावली पेश हुई। वादी मुकदमा उपस्थित।

2.पत्रावली आज वास्ते अन्तिम रिपोर्ट पर वादी मुकदमा की आपत्ति / अग्रिम आदेश हेतु नियत है। वादी मुकदमा सुरेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश पत्र के हाशिये पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि वादी मुकदमा को प्रस्तुत मामले में अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

3.पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को प्रस्तुत मामले मे अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही है। जिससे प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा प्रस्तुत मामलें पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही करना चाहता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त मुकदमें में विवेचक द्वारा अन्वेषणोपरान्त न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अन्वेषण में कोई अनियमितता दर्शित नहीं होती है एवं अन्वेषण के पश्चात अन्वेषण अधिकारी द्वारा पहुचे गये निष्कर्ष पर अविश्वास करने का कोई उचित आधार नही है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया उपरोक्त मामले में कोई अपराध होना दर्शित नहीं होता है। अतः विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 19 / 2022 में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 106 / 2022 स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. तद्नुसार विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 19 / 2022 में प्रषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 106 / 2022 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यावाही अभिलेखागार संचित की जाए।

(उपाधि सिंघल)
सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोपेश्वर।